दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 08 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 187

महत्वपूर्ण एवं खास

गडकरी ने बेसिक केयर एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 90 बेसिक केयर एंबुलेंसों को हरी झंडी दिखाई। इन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड हैं। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 415 मौतें होती हैं। अगर घायलों को दुर्घटना के तुरंत बाद बुनियादी चिकित्सा इलाज उपलब्ध करवाया जाए तो लगभग 40 फीसदी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को स्थिर करने में बुनियादी जीवन-रक्षक सहायता प्रणाली के साथ एंबुलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव के लिए गठित समिति की बैठक आज

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर के 400वें 'प्रकाशोत्सव' को धूमधाम से मनाने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में भाग लेंगे। बयान के मुताबिक बैठक में इस विशेष अवसर को मानने के लिए साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल गुरु तेग बहादुर के जयंती की 400वीं वर्षगांठ को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने का फैसला किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर के कई गणमान्य लोग इस समिति के सदस्य हैं। यह समिति देश और दुनिया में गुरु तेग बहादुर की शिक्षा और उनके विचारों का प्रचार- प्रसार करने के लिए नीति और योजना बनाएगी और साथ ही इसके लिए कार्यक्रमों का भी अनुमोदन करेगी।

बहरीन के विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति नायडू से मुलाकात की

नई दिल्ली (आरएनएस)। बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी ने बुधवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों एवं संसदीय आदान-प्रदान के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तस्वीर जारी करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बहरीन के विदेश मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने महामारी के समय में भारतीय समुदाय के लोगों की अच्छी देखरेख करने के लिये बहरीन के शाह को धन्यवाद दिया। प्रवक्ता ने बताया कि उपराष्ट्रपति नायडू और बहरीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों और संसदीय आदान-प्रदान के बारे में विचार-विमर्श किया। बहरीन के विदेश मंत्री छह अप्रैल को भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

जजों की नियुक्ति में हुई देरी पर सुको ने लगाई फटकार

» सरकार ने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट भी हैं जिम्मेदार » सरकार ने गिनाईं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम की खामियां

नई दिल्ली (आरएनएस)। हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति में टालमटोल के रवैय पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद केंद्र सरकार ने पटलवार किया है। सरकार ने देश के शीर्ष अदालत और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों पर मेमोरेंडम ऑफ प्रसीजर (एमओपी) के उल्लंघन का आरोप जड़ा है। एमओपी के तहत किसी जज का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले ही नए जज की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका (अदालतों) और कार्यपालिका (सरकारों) के बीच एक लिखित सहमति होती है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय में न्याय विभाग के सूत्रों ने कहा, 26 मार्च तक जजों के 410 पद खाली थे। उच्च अदालतों ने इनमें से 214 यानी 52 प्रतिशत पदों के लिए कोई सिफारिश ही नहीं भेजी।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

देश की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे समेत जस्टिस एसके कौल और

जस्टिस सूर्यकांत ने 27 मार्च को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से यह बताने को कहा कि भारत सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम से पास किए गए 45 नामों को सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं भेज रही है जिन्हें हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस पर 8 अप्रैल को जवाब देने को कहा है। जस्टिस कौल ने कहा कि सरकार तो उन 10 नामों पर भी फैसला नहीं कर सकी है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्टों में बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश कर दी है।

हाई कोर्ट कॉलेजियम की लेटलतीफी

ध्यान रहे कि कानून मंत्रालय ने विभिन्न हाई कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से सुझाए गए 45 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश कर दिया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वकीलों के कोटे से भर्ती का सबसे पुराना मामला 14 अक्टूबर, 2014 का ही है। लेकिन ओडिशा हाई कोर्ट कॉलेजियम ने छह साल बाद भी अब तक किसी नाम की सिफारिश नहीं की है। कम-से-कम नौ हाई कोर्ट की हालत ऐसी ही है जहां बार कोटे से खाली हुए पदों पर भर्ती के लिए पांच सालों बाद भी कोई सिफारिश नहीं आई है।

सुप्रीम कोर्ट की भी खुली पोल

मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसा ही हाल सीनियर जूडिशियल ऑफिसरों के कोटे से हाई कोर्ट के जजों के खाली पद भरने को लेकर भी है। सूत्रों ने कहा कि तीन हाई कोर्टों में सर्विस कोटा के खाली पदों को भरने के लिए नामों की सिफारिश पांच-पांच सालों से नहीं आई है। मंत्रालय ने जजों की नियुक्ति में लेटलतीफी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी उजागर की और कहा कि पिछले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर, 2019 को ही रिटायर हो गए थे। लेकिन उनकी जगह भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अब तक किसी नाम की सिफारिश नहीं की है। तब से सुप्रीम कोर्ट में जजों के पांच पद खाली हो चुके हैं और कॉलेजियम ने एक भी नाम की सिफारिश नहीं की है।

जजों की नियुक्ति पर यूपीए बनाम एनडीए

कानून मंत्रालय के अनुसार, 2018 में देश के उच्च न्यायालयों में रेकॉर्ड 618 जज कार्यरत थे जो 2019 में घटकर 677 जबकि 2020 में घटकर 668 हो गए। यूपीए शासन में हाई कोर्टों में सबसे ज्यादा जजों का रेकॉर्ड 2013 में बना था जब इनकी संख्या 639 थी। मंत्रालय ने कहा कि 2016 में विभिन्न हाई कोर्टों के लिए 126 जजों की नियुक्ति हुई थी जो एक रेकॉर्ड है। यूपीए वन में हर साल औसतन 75 जबकि यूपीए टू में हर साल औसतन 74 हाई कोर्ट जजों की नियुक्ती का रेकॉर्ड रहा था। एनडीए शासन में हर साल औसतन 103 हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति हुई है।

वॉटर टैक्सी और रोपैक्स फेरी सेवा जल्दी ही मुम्बई की परिवहन व्यवस्था का अंग होगी

» वॉटर टैक्सी 12 मार्गों पर और रोपैक्स सेवा 4 नए मार्गों पर शुरु होगी जल्द

नईदिल्ली,07 अप्रैल (आरएनएस)। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र के मुम्बई में शहरी जल परिवहन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, मुम्बई बंदरगाह के अध्यक्ष और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य हितधारक मौजूद थे।

मुम्बई की भीड़ भरी सड़कों से परिवहन का भार कम करने और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोपैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्गों और वॉटर टैक्सी सेवा के 12 नए मार्गों को दिसम्बर, 2021 तक परिचालन योग्य बनाने की योजना बनाई गई है।

इस समय रोपैक्स (रोल ऑन/रोल ऑफ यात्री) सेवा भाऊचा धक्का से मांडवा (अलीबाग) तक परिचालित की जाती है। इसके तहत 110 किलोमीटर की सड़क यात्रा को जल मार्ग के जरिए घटाकर 18 किलोमीटर किया गया है और इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का यात्रा समय 3-4 घंटे से घटकर मात्र एक घंटा रह गया है। इस फेरी सेवा के लाभों को देखते हुए मुम्बई के अन्य विभिन्न मार्गों पर भी इस तरह की सेवाएं शुरू करने की योजना है।

भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक स्क्रैप बेची

» 2020-21 की अवधि में उसने स्क्रैप बिक्री से कुल 4573 करोड़ कमाए

» भारतीय रेल स्क्रैप सामग्री जुटाने और ई-नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री कर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के सभी प्रयास करती है

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में अबतक की सबसे अधिक स्क्रैप की बिक्री की है। इसके माध्यम से उसने कुल 4573 करोड़ रुपये कमाए हैं जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.5

प्रतिशत यानी कि 4333 करोड़ रुपये अधिक हैं। इससे पहले स्क्रैप बिक्री की कमाई का सबसे अच्छा आंकड़ा 2009-10 में 4409 करोड़ रुपये था। भारतीय रेल स्क्रैप सामग्री जुटाने और ई-नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री कर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के सभी प्रयास करती है।

दोबारा इस्तेमाल में न लाए जा सकने वाली सामग्रियों यानी कि स्क्रैप का इकठ्ठा हो जाना और उनकी बिक्री रेलवे में एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे के आंचलिक कार्यालयों और रेलवे बोर्ड की ओर से उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है। रेलवे प्रशासन स्क्रैप सामग्री को इकठ्ठा करने और ई-नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री के लिए सभी प्रयास करता है। रेलेवे की निर्माण परियोजनाओं और छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने से जुड़ी परियोजनाओं में सामान्य रूप से इस तरह की स्क्रैप सामग्री बड़े पैमाने पर इकठ्ठा हो जाती है । ये दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहतीं इसलिए इनका निपटारा रेलवे के तय नियमों के अनुसार किया जाता है।

महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा कोरोना वायरस का असर

» भारत में हुए शोध में खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस बेशक देश, राज्य, शहर, धर्म और जाति देखकर शिकार ना कर रहा हो, लेकिन लिंग भेद जरूर कर रहा है। दुनिया भर की रिसर्च और आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पुरुषों और महिलाओं के बीच फर्क कर रहा है। वायरस के शिकार पुरुष ज्यादा हो रहे हैं जबकि महिलाएं कम।

मध्यप्रदेश स्थित इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के शोधार्थी द्वारा की गई रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना के खतरे की इस भिन्नता की वजह महिला और पुरुषों में उनके लिंग के अनुसार पाए जाने वाले अलग-अलग हार्मोन हैं। विश्वविद्यालय के इस शोध

निष्कर्ष को जाने-माने अमेरिकी जर्नल करंट कैंसर ड्रग टारगेट्स के ताजा अंक में भी प्रकाशित किया गया है। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के शोध टीम के प्रमुख डॉ. हमेंद्र सिंह परमार ने कहा, ग्लोबल हेल्थ 5050, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ काम करती है और आंकड़े जुटाती है, उसने 50 देशों के कोरोना के आंकड़े जारी किए थे। नवंबर 2020 तक कोरोना से मरने वालों के साथ ही गंभीर मामलों में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। मौत के मामले में भी पुरुषों की संख्या महिलाओं से करीब तीन गुना ज्यादा है। यानी महिलाओं में कोविड से मौत की खतरा करीब तीन गुना कम है।

उन्होंने आगे कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की दवाओं और उपचार के प्रबंध के शोध के दौरान हमने कोविड के असर को भी अध्ययन का विषय बनाया। क्योंकि पहले से ही कैंसर, मधुमेह और दिल की बीमारी से पीड़ितों को कोरोना संक्रमण के खतरे के मामले में पहले पायदान पर रखा गया था। दुनियाभर में प्रमुख रूप से हुए 250 शोधों के आंकड़ों की तुलना और अध्ययन के बाद सामने आया कि कोरोना संक्रमण के असर में महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन और पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टेस्टोरॉन अलग-अलग भूमिका अदा कर रहे हैं। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन कोरोना संक्रमण और गंभीरता का खतरा कम कर रहा है। डा. परमार आगे बताते है कि कोरोना किसी भी मानव शरीर में एसीई-2 रिसेप्टर के जरिए प्रवेश होता है। एस्ट्रोजन शरीर में एसीई-2 रिसेप्टर की संख्या कम कर देता है। जबकी पुरुष हार्मोन इस रिसेप्टर को शरीर में बढ़ाता है। एसीई-2 रिसेप्टर कम होने से कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का खतरा महिलाओं में कम हो जाता है। साथ ही एस्ट्रोजन से शरीर में घुलनशील एसीई-2 रिसेप्टर ज्यादा बनते हैं। स्त्री हार्मोन शरीर को एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजनरोधी) क्षमता भी ज्यादा देता है। इसीलिए महिलाओं की दर्द सहने की क्षमता से लेकर इम्युनिटी भी बेहतर कही जाती है।

चुनाव प्रचार में लगे हर व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य करने की मांग

» दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके उससे चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की अपील की गयी है कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाएं।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह की पीठ के सामने वकील विराग गुप्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से इस अर्जी का उल्लेख किया। अदालत ने इस याचिका को बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध करने की इजाजत दी। गुप्ता ने पीठ से कहा कि वह इस आवेदन को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उसके सामने उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्री ने इसे 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है और इतने दिन बाद की तारीख से मांगी गयी राहत बेमतलब रह जाएगी। यह याचिका विक्रम सिंह नामक एक व्यक्ति ने दायर की जिन्होंने चुनाव आयोग को 'विधानसभा चुनाव के दौरान अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने और आपस में दूरी बनाकर रखने के बारे में डिजिटल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने का' निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

'नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी मॉड्यूल' को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी (फोटो वॉल्टिक) मॉड्यूल में गीगा वॉट पैमाने की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) 'नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी (फोटो वॉल्टिक) मॉड्यूल' के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

वर्तमान में सोलर क्षमता संवर्धन के लिए मोटे तौर पर

आयातित सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स निर्भरता है, क्योंकि घरेलू विनिर्माण उद्योग के पास परिचालन योग्य सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स की सीमित क्षमता थी। नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी (फोटो वॉल्टिक) मॉड्यूल से बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। यह 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का भी समर्थन करेगा। सोलर पीवी विनिर्माताओं को एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्र की शुरुआत के पांच साल के लिए पीएलआई प्रदान की जाएगी और यह उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर निर्भर करेगा। विनिर्माताओं को उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के साथ-साथ घरेलू बाजार से सामग्री खरीदने के लिए लाभ दिया जाएगा।

पीएलआई योजना से चार लाख से ज्यादा रोजगार सृजन का लक्ष्य

» केंद्र ने दी एसी व एलईडी लाइट के उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

» भारत में अगले 5 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन के रूप में 6,238 करोड़ देने का ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के अनुरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,238 करोड़ रुपये के बजट-आवंटन के साथ श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन से जुडी

प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी है।

पीएलआई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र आधारित अक्षमताओं को दूर करके, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण और दक्षता को सुनिश्चित करते हुए भारत में विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसकी रूपरेखा भारत में उपकरणों व कल-पुर्जों के सम्पूर्ण इको-सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है, ताकि भारत को वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके। इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। पीएलआई योजना के तहत एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिमान बिक्री पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जायेगा। वांछित क्षेत्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कल-पुर्जों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गयी है। योजना के लिए कंपनियों का चयन कल-पुर्जों के निर्माण या उपकरण के हिस्से का निर्माण (सब असेम्बलिंग) को प्रोत्साहन देने के आधार पर किया जायेगा, जिन उपकरणों का वर्तमान में भारत में पूरी क्षमता के साथ निर्माण नहीं किया जा रहा है। तैयार वस्तुओं को सिर्फ जोड़ने (असेम्बल) के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। विभिन्न लक्षित क्षेत्रों के लिए पूर्व-पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियां योजना में भाग लेने के योग्य मानी जायेंगी। ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड निवेश करने वाली कंपनियां भी प्रोत्साहन योजना के योग्य मानी जायेंगी। प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आधार वर्ष पर निर्मित वस्तुओं के सन्दर्भ में वृद्धिमान निवेश और वृद्धिमान बिक्री की शर्त को पूरा करना होगा। भारत सरकार की किसी अन्य पीएलआई योजना का लाभ उठा रही कोई कंपनी समान उत्पाद के संदर्भ में योजना के तहत पात्र नहीं मानी जायेगी, लेकिन कंपनी, भारत सरकार या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकती है। योजना को पूरे देश में लागू किया जायेगा और इसके लिए किसी स्थान, क्षेत्र या आबादी विशेष को ध्यान में नहीं रखा गया है।